



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.पी.-अ.-10092026-276128
CG-AP-E-10092026-276128

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4735]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2026/भाद्र 16, 1948

No. 4735]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2026/BHADRA 16, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण तट रेलवे)

अधिसूचना

विशाखापत्तनम, 5 सितम्बर, 2026

का.आ. 4924(अ).— रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (7A) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (6) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित विशेष रेलवे परियोजना के संबंध में, कॉलम (3) में उल्लिखित राज्य में उसके निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और संचालन के लिए, सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने हेतु, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र.सं.	विशेष रेलवे परियोजना	राज्य	जिला	मंडल	सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	निडदवोलु एवं दुव्वाडा के बीच तीसरी एवं चौथी लाइन (198.10 कि.मी.)	आंध्र प्रदेश	इस्ट गोदावरी	राजमंड्री शहरी	राजस्व मंडल अधिकारी, राजमहेन्द्रवरम
				राजमंड्री ग्रामीण	
				कडियम	
				अनापर्ती	

2			अनकापल्ली	बिकावोलु	राजस्व मंडल अधिकारी, अनकापल्ली
				मंदापेटा	
3			अनकापल्ली	अनकापल्ली	राजस्व मंडल अधिकारी, अनकापल्ली
				पारावाडा	
				कासिमकोटा	
3			अनकापल्ली	मुनगापाका	राजस्व मंडल अधिकारी, अड्डुरोड जंक्शन
				सब्बावरम	
				पायकररावपेटा	
3			अनकापल्ली	एलमंचिली	राजस्व मंडल अधिकारी, अड्डुरोड जंक्शन
				एस.रायवरम	

[फा. सं. D.Con./BZA/NDD-DVD/3rd&4th line /26-27/01/7A]

करूटूरी सूर्यनारायण, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-II

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Coast Railway)

NOTIFICATION

Visakhapatnam, the 5th September, 2026

S.O. 4924(E).— In exercise of the powers conferred by Clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in the column(6) of the Table below to perform the functions of the Competent Authority in respect of the Special Railway Project as mentioned in column (2) of the Table, for execution, maintenance, management and operation in the State mentioned in Column (3) of the said table with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Table

Sl.No	Special Railway Project	State	District	Mandal	Competent authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1	3rd & 4th lines between Nidadavolu and Duvvada (198.10 Km)	Andhra Pradesh	East Godavari	Rajahmundry Urban	Revenue Divisional officer, Rajamahendravaram
				Rajahmundry Rural	
				Kadium	
				Anaparthi	
				Biccavol	
Mandapeta			Anakapalli	Revenue Divisional Officer, Anakapalli	
Anakapalli					
Parawada					
Kasimkota					
Munagapaka					
Sabbavaram			Payakaraopeta	Revenue Divisional Officer, Adduroad Junction	
Yelamanchili					
S.Rayavaram					

[F. No. D.Con./BZA/NDD-DVD/3rd&4th line /26-27/01/7A]

KARUTURI SURYANARAYANA, Chief Engineer/Con-II